अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

स्टेट बनाम **आमीन आदि**

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर :– 080/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
.07.2025	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी राज पैरोकार तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार भादरा को सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों (जमाबंदी, पटवार हल्का रिपॉर्ट दिनांक 21.07.2025) का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा रोही चक 6 एस.डी.आर. के खाता संख्या 249/26 के मुरबा नम्बर 38 व 51 की कुल 1.3280 हैक्टर रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें से मुरबा नम्बर 38 के किला नम्बर 16, 17, 24 व 25 **नहरी खातेदारी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से अवैध मकान निर्माण व अकृषि कार्य ना करें तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।** वाप्कोस कार्य DILRMP कार्य, रास्ता व खाला पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। तहसीलदार भादरा को रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखने हेतु व अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य बन्द करने बाबत तहरीर जारी हो। इस सम्बध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 25.08.2025 को पेश हो।	
25/8/25	वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी दिनांक ..7/10/25... को पेश हो।	
7.10.25	वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ..तलबी दिनांक ..2/12/25... को पेश हो।	
2/12/25	वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी दिनांक ..12/2/26.. को पेश हो।	
12/2/26	वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी दिनांक ...9/4/26.. को पेश हो। पुनश्च: राजपैरोकार द्वारा अप्रार्थीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:55:44 IST
Reason: SelfAttested

की तलबी नोटिस बाद तामील पेश किये। बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन बाद विधिवत तामील हाजिर अदालत नहीं आने से अप्रार्थी सं. 1 ता 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9.2.2026 को पेश हो।

9/2/26 वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। चूंकि प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212/RTA स्वतः ही औचित्यहीन होने के कारण पत्रावली में दिनांक 30.7.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पत्रावली को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Bhagirath Ram)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:55:44 IST
Reason: SelfAttested